



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164374

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 18898/2026

नदीम मेवाती

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता	: अभिषेक कुमार सरोज, नागेन्द्र बहादुर सिंह
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है:-

"I- उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1508 सन् 2026/सी.एन.आर. संख्या C202611000001508 (नदीम मेवाती बनाम राज्य) में पारित दिनांक 03.07.2026 के आक्षेपित आदेश तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ द्वारा उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 4474 सन् 2024/सी.एन.आर. संख्या D202411520004474 (राज्य बनाम नदीम मेवाती), थाना भावनपुर, जनपद मेरठ में पारित दिनांक 29.06.2026 के आदेश को निरस्त किया जाए। (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 5 एवं 7)।

II- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 03.07.2026 के स्थगन आवेदन तथा उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 6 के अन्तर्गत अपील के रूप में प्रकरण संख्या 1508 सन् 2026/सी.एन.आर. संख्या C202611000001508 (नदीम मेवाती बनाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य) का शीघ्रतापूर्वक, अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली निश्चित अवधि के भीतर, निर्णय करें।

III- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 4474 सन् 2024/सी.एन.आर. संख्या D202411520004474 (राज्य बनाम नदीम मेवाती), थाना भावनपुर, जनपद मेरठ में पारित दिनांक 29.06.2026 के आक्षेपित आदेश को प्रभावी न करने हेतु निर्देशित/आदेशित किया जाए।

III- कोई अन्य ऐसी रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझे।

III- रिट याचिका का वाद व्यय याची को प्रदान की जाए।"

याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत याची के विरुद्ध पन्द्रह मिथ्या आपराधिक प्रकरणों के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ ने दिनांक 29.06.2026 के आदेश द्वारा याची को पांच माह की अवधि के लिए जनपद मेरठ की क्षेत्रीय सीमाओं से निष्कासित किए जाने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर याची ने अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष अपील संख्या 1508 सन् 2026, कम्प्यूटरीकृत प्रकरण संख्या C202611000001508 (नदीम मेवाती बनाम उ.प्र. राज्य) दाखिल की तथा दिनांक 29.06.2026 के आक्षेपित आदेश के संचालन एवं क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने हेतु एक आवेदन भी दाखिल किया, तथापि पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद न तो स्थगन आवेदन और न ही अपील का अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि अपील के निस्तारण तक दिनांक 29.06.2026 के आक्षेपित आदेश के संचालन एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाए।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जिसमें वर्ष 1970 के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही केवल एक या दो आपराधिक प्रकरणों के आधार पर प्रारंभ की गई हो। प्रस्तुत किया गया कि याची का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वर्ष 2003 से 2023 के मध्य पंजीकृत पन्द्रह आपराधिक प्रकरण सम्मिलित हैं, जो पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि वह आदतन अपराधी है और बार-बार गंभीर अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराधों में लिप्त रहा है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत कई प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं, जो यह इंगित करते हैं कि उसकी गतिविधियां लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल हैं और वह समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अतः यह आग्रह किया गया कि समाज के व्यापक हित में आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ द्वारा पारित दिनांक 29.06.2026 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी ने याची के आपराधिक पूर्ववृत्त पर समुचित रूप से विचार किया है। आक्षेपित आदेश में अंकित है कि याची वर्ष 2003 से 2023 की अवधि के दौरान पंजीकृत पन्द्रह आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त है, जो आपराधिक गतिविधियों के निरंतर स्वरूप को इंगित करता है और प्रथमदृष्टया यह प्रदर्शित करता है कि वह आदतन अपराधी है।

यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। अतः केवल इस कारण से कि याची को सभी आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्ध नहीं किया गया है, अपने आप में आक्षेपित आदेश को अवैध नहीं बनाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षतापूर्वक स्वीकार किया कि यद्यपि याची को आठ आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्त किया जा चुका है, शेष आपराधिक प्रकरण सक्षम आपराधिक न्यायालयों के समक्ष अभी भी लंबित हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस न्यायालय का मत है कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि इस स्तर पर दिनांक 29.06.2026 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने को न्यायोचित ठहराने वाला कोई प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। याची द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत प्रदान करना, प्रभावी रूप से रिट याचिका में मांगी गई अंतिम राहत प्रदान करने के समान होगा, जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित नहीं है।

तदनुसार, यह न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ द्वारा पारित दिनांक 29.06.2026 के आक्षेपित आदेश के संचालन एवं क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथापि, यह विचार करते हुए कि याची द्वारा दाखिल वैधानिक अपील आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष लंबित है, यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी को उसका शीघ्रतापूर्वक निर्णय किए जाने हेतु निर्देशित करना उचित समझता है।

तदनुसार, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को निर्देशित किया जाता है कि वे याची की लंबित अपील पर विधि के अनुसार, कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश के माध्यम से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर, यदि कोई विधिक बाधा न हो, विचार कर निर्णय करें।

उपर्युक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका *निस्तारित* की जाती है।

6 अगस्त, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)